

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 11589/2026
URN: CW / 25648U / 2026

1. Maharam Gurajr S/o Shri Malaram Gurjar, Aged About 45 Years, R/o Ward No. 5, Haripura Chhaja Ki Nangal, Sikar (Rajasthan) (Vehicles Registration No. Rj 23 Gc 2163)
2. Pappu Singh S/o Shri Girdhari Singh, R/o Mohalla Gaal Wala Nahreda Tehsil Kotputli District Kotputli Behror (Rajasthan) (Vehicles Registration No. Rj 32 Gd 0572).

-----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Transport Department Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan, Through Secretary.
2. Department Of Mining And Geology, Government Of Rajasthan, Secretariat, Jaipur, Rajasthan, Through Joint Secretary.
3. Commissioner, Transport Department, Government Of Rajasthan, Jaipur.
4. Regional Transport Officer, Rto Office Sikar, District Sikar (Rajasthan).
5. Regional Transport Officer, Rto Office Kotputli, District Kotputli Behror (Rajasthan).

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Raj Kumar Kasana
For Respondent(s)	:	Mr. S S Naruka, AAG with Ms. Ritika Naruka, AAAG

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

09/07/2026

याचीगण की ओर से यह रिट याचिका खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी ई-खान्ना से याची के वाहनों के अधिक भार (Overloading)/बदलाव (alteration) के आधार पर, बिना नोटिस दिए उनके वाहन का पंजीयन प्रमाण-पत्र

(Registration Certificate) निलम्बित (suspend) किए जाने के आदेश से व्यथित होकर इस अनुतोष के साथ प्रस्तुत की गई है :-

"It is, therefore, humble prayed that your lordships may graciously be pleased to accept and allow this writ petition and may be further be pleased to call for the entire record of the case and by way of appropriate writ, order or direction in the nature thereof, thereby, issue the necessary direction(s) to the respondents :-

- (i) The respondents be directed to revoke the suspension of registration certificate of the vehicles of the petitioners;*
- (ii) The respondent be directed to remove the vehicles/trucks of the petitioner from blacklisting/Not to be transacted (NTBT)/ Blok*
- (iii) cost of writ petition may also be awarded in favour of petitioner;*
- (iv) any other order (s) which this Hon'ble Court deems just and proper in the facts and circumstances of the Case."*

अयाची/विभाग की ओर से आज विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एस.एस.नरुका अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हैं, उन्हें याचिका की प्रति उपलब्ध कराई गई।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण ने प्रकट किया कि इस मामले में जो प्रश्न अन्तर्वलित (involve) है, वही समान प्रश्न इस न्यायालय की समक्ष पीठ द्वारा न्यायिक निर्णय *Kanwar Singh & Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. S.B.C.W.P. No. 9721* तथा *Mustak and Ors. Vs. State of Rajasthan & Ors. S.B.C.W.P. 20073/2025* में निस्तारित किया जा चुका है। अतः उक्त निर्णयों के प्रकाश में ही इस प्रकरण को भी निस्तारित किए जाने का निवेदन किया।

विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की सीमित प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचीगण अपने-अपने वाहनों तथा जवाब सहित सम्बन्धित जिला परिवहन अधिकारी/सक्षम अधिकारी (जिनके द्वारा उनके वाहनों का पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित किया गया है), के समक्ष इस आदेश की तिथि से एक

सप्ताह के भीतर आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा दो सप्ताह की अवधि में सुनवाई कर आदेश पारित किया जायेगा।

संबंधित जिला परिवहन अधिकारी/सक्षम अधिकारी के समक्ष सत्यापन/निरीक्षण हेतु वाहन ले जाने के अतिरिक्त याचीगण उक्त अवधि के दौरान अपने-अपने वाहनों को अन्य उद्देश्य के लिए लोक मार्ग पर चलाने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।

तदनुसार याचिका व विविध प्रार्थनापत्र, यदि कोई लम्बित हो, तो निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

33/VISHAL SHARMA